कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक / क.त.अ. / 4709 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 06 / 06/ 2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन,
सिविल लाईन्स रायपुर छ.ग.

विषय :– आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर (CG - Chips) द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल रकबा 3.959 हें. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।

(पंजीयन क्र. / FP/CG/Others/27425/2017)

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ – 5–11/2018/10–2 दिनांक 28.04.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–696 /1438 रायपुर दिनांक 08.05.2018 एवं क्रमांक/2011 दिनांक 13.08.2019
3. वन संरक्षक वृत्त जगदलपुर का पत्र क्रमांक/व.त.अ ./4315 दिनांक 21.08.2019
4. कार्यालय पत्र क्रमांक/क.त.अ./4606 दिनांक 15.06.2018 एवं क्रमांक/4977 दिनांक 27.06.2019, क्रमांक/6381 दिनांक 20.08.2019एवं क्रमांक/6815 दिनांक 07.09.2019 एवं क्रमांक/क.त.अ./7156 दिनांक 25.09.2019 एवं क्रमांक/क.त.अ./7812 दंतेवाड़ा दिनांक 06.11.2019

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र 04 का अवलोकन करें, दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 3.959 हें. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर छ.ग. को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र – 1 के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, स्वीकृति में अधिरोपित **शर्त क्रमांक 15 :– (प्रकरण में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र वितरीत संबंधी कलेक्टर का प्रमाण पत्र औपचारिक अनुमति के पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नया रायपुर द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।)**

अतः वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कृपया निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाण पत्र एवं SDLC की कार्यवाही विवरण की प्रति के साथ प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, किन्तु 01 वर्ष व्यतीत होने के उपरांन्त भी आपके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

अतः पुनः लेख है कि, कलेक्टर महोदय से वन अधिकार अधिनियम संबंधि प्रमाण पत्र प्राप्त कर वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा

पृ.क्रमांक / क.त.अ. / 4710 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 06 / 06/ 2020

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित। उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत एफ.आर. ए. प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कृपया एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा

D:\DM Section\Letter 2020.docx